International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746; Impact Factor: RJIF 5.34
Received: 06-10-2020; Accepted: 21-10-2020; Published: 10-11-2020
www.alleducationjournal.com
Volume 5; Issue 6; 2020; Page No. 22-24

समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याय

डॉ. रंजीता 'गोयल'
पूर्व–शोधार्थी, विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, ल.ना.मि.वि., दरभंगा

सारांश :
किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुये जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन–प्रतिदिन गिरावट आती गई तथा गरीब महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की परतन्त्रता के कारण भारतवर्ष विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिये जल, वायु, और भोजन हैं। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती हैं फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है, इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है।

कूट शब्दः सामाजिक समस्याय, महिलाओं की स्थिति, सभ्य समाज

प्रस्तावनाः
भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलायें आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन–यापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरूषों एवं महिलाओं को समाज दर्जा और अधिकार दिये जाने के बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलायें अभी पुरूषों से काफी पीछे हैं। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गों में शामिल है। महिला परिवार की आधारशिला है और सामाजिक विकास बहुत कुछ उसी के सद्प्रयासों से सम्भव है। जिस समाज की महिलायें उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होती हैं वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता।
महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं अन्य अनेक ऐसी निर्योग्यतायें लाद दी गई हैं जिसके कारण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिलता। ये निर्योग्यतायें उनके लिए बहुत बड़ी चुनातियां एवं समस्यायें बनकर उभरी है। इन निर्योग्यताओं के कारण कार्य में दक्षता, योग्यता एवं कुशलता होने के बावजूद ये महिलायें न तो सार्वजनिक क्षेत्र में अपना योगदान कर सकती थी और न शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, न उच्च संस्थानों में नौकरी कर सकती थी और न किसी प्रकार का धार्मिक कार्य बिना पुरूष के सम्पादित कर सकती थीं। पुरूष वर्ग के साथ खानपान पर प्रतिबन्ध था। महिलाओं के लिये उच्च शिक्षा के दरवाजे पूर्णतया बन्द थे जिससे उन्हें विवशतापूर्ण जिन्दगी घर की चहारदीवारी के अन्दर व्यतीत करनी पड़ती थी। इन्हें पढ़–लिखकर नौकरी करने के अधिकारों से वंचित रखा गया था। महिलाओं की बदतर स्थिति के लिये मूलरूप से ही लड़कों, लड़कियों को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार है, उसके बाद पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परम्परायें, मूल्य तथा रीति–रिवाज इस दृष्टिकोंण की ओर पुष्टि करते हैं। अतः इस सोच में बदलाव लाना महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती है।
महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) के ये ऐतिहासिक शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं, जो निम्न हैं :–
''शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरूष हो ही नहीं सकता। यदि पुरूषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिये सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्ष स्वयंएमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी।''
सन् 1963 के वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुये पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को दोहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। उपरोक्त विवेचन से महिलाओं के लिये शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट होता है लेकिन स्त्री शिक्षा इतनी आवश्यक होते हुये भी उपेक्षित है इसलिये महिलाओं के सामने यह एक जटिल समस्या एवं चुनौती के रूप में उभरकर सामने आयी है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से महिलायें अभी भी पिछड़ी हुई है। कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से अनेक अधिकार प्राप्त होने और योजनागत विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की परिस्थिति शोचनीय ही है।
स्वामी विवेकानन्द के कथनानुसार कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनता।
इस प्रकार स्त्री एक अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का स्रोत होती है। विद्या से ही व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादिता की जंजीरों को तोड़ सकता है। यदि स्त्री शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा ही हमें सामाजिक भेदभावों और ऊँच–नीच की भावनाओं से उबारने का काम करती है। इसलिये स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता जाता है क्योंकि उसके विचार ही उसके बच्चे होते हैं अगर वह अपने बच्चों को इन रूढ़िगत विचारों से दूर रखे और यह बताये कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति के कार्य और विचार ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। यदि माता अपने बच्चों में जाति–भेद और धर्म–भेद रहित विचारों का बीजारोपण करे तो आगे चलकर वह एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसमें सामाजिक–समरसता से पूर्ण फल लगेंगे जो बिना किसी भेदभाव के छाया भी प्रदान करेगा।
इस प्रकार एक शिक्षित स्त्री एक शिक्षित देश को जन्म देती है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें ऐसी बहुत सी विदुषी स्त्रियों के नाम मिल जायेंगे जिन्होंने अपनी विद्यता का लोहा मनवाया था और इस प्रकार इतिहास में अपना नाम अमर करवा लिया था। ऐसी स्त्रियों में अपाला, घोषा, गोपा, सावित्री, मैत्रेयी और गार्गी जैसी अन्य अनेक स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंन विद्यार्जन कर स्त्रियों के अस्तित्व को गौरव प्रदान किया था।

उनकी शक्ति थी उनकी विद्या, लेकिन बाद के कालों में उनकी यह शक्ति उनसे छीनी जाने लगी। उन्हें विद्या से रहित कर दिया गया और यही उनकी स्थिति की अवनत का कारण बना। देखा जाये तो आज भी वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ हद तक उसने अपने को उबारा है, लेकिन अभी भी पूर्णरूपेण उन्नति होना बाकी है। सामाजिक कुरीतियों का उसे शिकार बनाया गया। छोटी उम्र में विवाह प्रारम्भ हुये, उपनयन संस्कार से उसे वंचित किया जाने लगा, फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व कुंठित हो गया है।

बाल–विवाह के कारण शिक्षा उससे छिन गई और तब यह केवल संभ्रान्त परिवारों की स्त्रियों तक ही सीमित हो गई या पुरूष की संकीर्ण मानसिकता, स्त्री को शिक्षा से वंचित होना पड़ा जिसके कारण वह पर्दा–प्रथा, सती प्रथा, नियोग–प्रथा आदि अनेक बुराईयों की बेड़ियां काटने में असक्षम हो गई क्योंकि उसका हथियार ''शिक्षा'' उससे छीना जा चुका था। शिक्षा जोकि सिर्फ सर्वांगीण विकास ही नहीं करती बल्कि हमें समाज में व्याप्त बुराईयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। वो हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती है।

अनेक समाजशास्त्रियों, जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का अनुभवात्मक अध्ययन किया है तथा अपने विश्लेषण के द्वारा महिलाओं की सामाजिक, व्यवसायिक गतिशीलता तथा पुरूषों के समान शैक्षणिक व सामाजिक अधिकार, परिवार में निर्णय निर्धारक भूमिका तथा प्रदत्त परिस्थिति को नकार कर, अर्जित प्रास्थिति द्वारा अपनी क्षमता के नये आयामों को उद्घाटित करना, के सन्दर्भ में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ शोध समस्या से सम्बन्धित विभिन्न समाजशास्त्रियों, जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों के साहित्य का अवलोकन किया गया है जिसमें इनके अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मीनाक्षी मुखर्जी का मत है कि पुरूषों से स्वतन्त्र स्त्रियों की पहचान की अभिव्यक्ति वैचारिक दृष्टि से सम्भव है परन्तु व्यवहारिक तौर पर नहीं। एक पुरूष की अपेक्षा एक स्त्री के लिये सामाजिक अनुपालन अधिक आवश्यक है। सामान्यतः एक महिला की पहचान स्वयं और अन्य लोगों के द्वारा पुरूषों के साथ एक पुत्री, एक पत्नी और एक माँ के रूप में की जाती है। मीनाक्षी का मानना है कि परिवार ही स्त्रियों को गुलाम बनाने वाली संस्था नहीं है। समाज की प्रकृति ही ऐसी है कि जिसमें स्त्रियों के साथ अुनदार रूप में व्यवहार किया जाता है।

माग्रेट कारमैक ने विश्वविद्यालय की 500 छात्राओं के अध्ययन के दौरान पाया कि लड़कियां कॉलेज जाना और लड़कों से मित्रता करना चाहती थीं लेकिन वे ये भी चाहती थीं कि उनका विवाह उनके माता–पिता तय करें। वे अपनी नव स्वतन्त्रता का भोग भी करना चाहती हैं लेकिन साथ ही साथ पुराने मूल्यों को भी बनाये रखना चाहती हैं।

गोविन्द केलकर ने अपने अध्ययन में पाया कि हरित क्रान्ति वाले क्षेत्र पंजाब में स्त्रियों को दिन–भर कामकाज के बाद पति की सेवा भी करनी पड़ती है। स्त्री द्वारा उलटकर जवाब देना, ठीक तरह से भेजन न परोसना या कभी–कभी पारिवारिक मामलों में बोलना उनका अपराध माना जाता है और इसके लिये उनकी पिटाई भी होती है।

कॉपर ने कानून की नजर में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस अध्ययन के आधार पर महिलाओं की संवैधानिक स्थिति, प्रभुता, अधिकार, सम्पन्नता, कानूनी शक्ति इत्यादि को समझा जा सकता है। वस्तुतः महिलाओं की परिस्थिति को उच्च बनाने की दृष्टि से इनके पक्ष में कानून निर्मित किये गये हैं, किन्तु भारतवर्ष में पुरूष प्रधान समाज होने के कारण भारतीय महिलाओं का एक प्रमुख एवं विचारणीय भाग कानून के प्राविधान से अनभिज्ञ रह गया है फिर भी भारतीय समाज की उच्च वर्गीय महिलाओं ने इसका लाभ उठाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च किया है।

मिश्र ने अपने अध्ययन के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि जब तक सामाजिक–सांस्कृतिक बाधायें समाप्त नहीं होगी तब तक भारतीय महिलाओं का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। महिलाओं के प्रति पुरूषों की दृष्टि में परिवर्तन आवश्यक है।

आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीणजन हैं जो वासनात्मक निषेध के कारण अपनी बालिकाओं को घर के बाहर नहीं जाने देते और बाल्यावस्था में ही विवाह कर देते हैं। वस्तुतः आज भी महिलायें पुरूष की नजर में महिला और मात्र महिला है, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं हैं और पुरूषों का वासनात्मक लक्ष्य बनी हुई हैं। इस दृष्टि में परिवर्तन अपरिहार्य है।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरित मानस के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है। महिलाओं में अद्वितीय क्षमता पायी जाती है। इन्होंने भक्ति साहित्य, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, सेना इत्यादि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाकर अपनी अद्भूत प्रतिभा का अनोखा परिचय दिया है। आज महिलाओं को पहचानने की आवश्यकता है। ये सब कुछ कर सकती है। एक ओर बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती है तो दूसरी ओर समाज में क्रान्ति भी ला सकती है। पुरूषों की सेवा करने में सक्षम है तो पुरूषों को झुकने और उनसे अपनी सेवा कराने की क्षमता भी रखती है। यह सब कुछ कर सकती है।

विवाह मूलक परिवार में स्त्री की भिन्न–भिन्न परिस्थितियाँ होती है उदाहरण के लिए बेटी पत्नी, बहू, माँ इत्यादि। इन परिस्थितियों से सम्बन्धित भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है एवं प्रत्येक भूमिका निर्वाह के समय उनसे समपर्ण एवं भेदभाव की भावना की अपेक्षा की जाती है। वहाँ भी उसे निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है एवं उनका कोई पृथ व स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार स्त्रियों की परिस्थितियों में उतार–चढ़ाव पाया गया है, परन्तु यह परिस्थिति सम्बन्धी उतार–चढ़ाव अचानक परिलिक्षित नहीं हुआ अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। समाज में जैसे–जैसे परिवर्तन व बदलाव आते गये वैसे–वैसे स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होते गये।

दूबे ने भारतवर्ष में पुरूषों और महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं को प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। जब व्यक्ति की भूमिकाएं अनेक हो जाती है तो उन भूमिकाओं में कभी–कभी संघर्ष की स्थिति आ जाती है व्यक्ति अपनी सभी भूमिकाओं का पूर्ण और यथोचित निर्वाह नहीं कर पाता जिन महिलाओं को घर के भीतर और बाहर कार्य करना पड़ता है वे न तो घर में और न ही घर के बाहर अपने दायित्वों का पूर्ण रूपेण पालन कह जाती है।

शिक्षित महिलाओं की वैवाहिक समस्या का अध्ययन मित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण समाज की शिक्षित लड़कियों के लिए उचित वर नहीं मिल पाता, जो मिलता भी है उसकी मांग इतनी अधिक होती है कि लड़की के पिता उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते है। वैवाहिक समस्या एक ज्वलंत समस्या है। आज की शिक्षित महिलायें जिसका शिकार है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आज की पढ़ी–लिखी महिलायें भी ऊपर से तो स्वतंत्रता का झूठा लबादा पहन लेती है लेकिन अपनी ही आंतरिक स्वतंत्रता के बारे में बेखबर हैं। आंतरिक स्वतंत्रता का जज्बा तब तक उनका बाहरी तौर पर स्वतंत्र दिखना मायने नहीं रखता। अतः उसे अपने अधिकारों को समझकर सीमा में रहते हुए उनका सदुपयोग करना चाहिए। जब तक किसी महिला को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आजादी नहीं मिलती, तब तक उसे स्वतंत्र नहीं माना जा सकता।

संदर्भ–सूची :

1. नीरा देसाई, वीमेंन इन मार्डन इण्डिया, बाम्बे, वारो एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिव, 2008.
2. प्रेमशंकर झा, वर्किंग वीमन : नो फ्यूचर? फेमिना, 27 अक्टूबर, 1972.
3. नीरा देसाई, भारतीय समाज में नारी, दिल्ली, मैकमिलन इण्डिया, 1982.
4. एस.सी. दूबे, मेन्स एण्ड वीमेन्स रोल्स इन इण्डिया, वीमेन इन न्यू ऐशिया, बारबरा ई वार्ड, पेरिस, यूनेस्को, 1963.
5. फ्रेन्सटीन केरेन, वर्किंग वीमेन एण्ड फेमिलीज, सेज इयर बुक्स इन वीमन्स पालिसी स्टडीज, लन्दन, सेज पब्लिकेशन, 1979.
6. प्रमिला कपूर, भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएँ, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1976.